राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6330/2024

श्री कुबेर एसोसिएट्स, सी-57, हनुमान नगर, खातीपुरा, जयपुर (राजस्थान) पावर ऑफ अटॉर्नी धारक श्री गिरिराज शर्मा पुत्र श्री राम गोपाल शर्मा उम्र लगभग 38 वर्ष साल, डोरवालों का मौहल्ला, वार्ड नंबर 10, बामनवास, सीकर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सरकार सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. खान एवं भूविज्ञान निदेशालय राजस्थान, निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर के माध्यम से।
3. अतिरिक्त निदेशक (खान) कार्यालय, जयपुर रेंज अतिरिक्त निदेशक (खान), जयपुर के माध्यम से।
4. खान एवं भूविज्ञान विभाग सोजत सिटी, खनन अभियंता, जिला पाली (राजस्थान) के माध्यम से।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री रवि भंसाली, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अंकुर माथुर की सहायता से श्री युवराज सिंह मेड़तिया श्री विपुल धारणिया श्री उदित माथुर श्री मोहम्मद अमान
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री महावीर बिश्नोई, एएजी श्री गौरव बिश्नोई के साथ

माननीय डॉ. जस्टिस नूपुर भाटी

<u>आदेश</u>

<u>रिपोर्ट करने योग्य</u>

<u>रिजर्व किया गया: 09/05/2024</u>

फैसला सुनाया गया: 17/05/2024

1. याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका में प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग की है कि वे खनन पट्टे ('एमएल') की अवधि संचालन की सहमति ('सीटीओ') दिए जाने की तिथि से शुरू करें। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को शेष क्षेत्र (पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र हटाने के बाद बचा हुआ क्षेत्र) के लिए अनुपूरक एमएल और अन्य अपेक्षित अनुमतियां क्रमशः सीटीई, सीटीओ निष्पादित करने का निर्देश देने की भी मांग की है। वैकल्पिक रूप से, याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है कि याचिकाकर्ता को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में खनन कार्य न करने का वचन देने पर पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में कमी किए बिना खनन कार्य करने की अनुमति दी जाए।

2. इस रिट याचिका के निपटान के लिए उपयुक्त तथ्य यह है कि राजस्थान राज्य में खनिज 'बजरी' का उत्खनन पहले लघु खनिज रियायत नियम, 1986 (नियम 1986) के नियम 63 द्वारा शासित था, जिसके तहत राज्य के चेक पोस्ट अर्थात खनन विभाग या रॉयल्टी अनुबंधों के माध्यम से खनन विभाग के एजेंट के रूप में काम करने वाले व्यक्ति पर रॉयल्टी और परमिट शुल्क का भुगतान करके खनिज बजरी के उत्खनन की अनुमति दी गई थी। दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य (2012) 4 एससीसी 629 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, उक्त प्रथा की निंदा की गई तथा निर्देश दिया गया कि बजरी की खुदाई के लिए क्षेत्र की पहचान किए बिना तथा इसे पट्टाधारकों को दिए बिना बजरी की खुदाई नहीं की जाएगी, जो सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के बाद नदी तल से बजरी की खुदाई करेंगे। दीपक कुमार (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसरण में, प्रतिवादियों ने 1986 के नियमों में संशोधन किया तथा नियमों के नियम 63 को हटा दिया गया तथा संशोधित नियम 7 के अनुसार, नीलामी के माध्यम से लघु खनिज बजरी के लिए खनन की अनुमति दी गई।

3. प्रतिवादी राजस्थान राज्य ने संशोधित नियम 2012 के अनुसार 130 पट्टों की पहचान की और उन्हें दिनांक 20.11.2012 की अधिसूचना के माध्यम से नीलामी में रखा गया। उपरोक्त एनआईटी के अनुसार याचिकाकर्ता ने आवेदन किया और भाग लिया और याचिकाकर्ता को उच्चतम बोलीदाता घोषित किया गया। 13.02.2013 को याचिकाकर्ता के पक्ष में आशय पत्र (एलओआई) जारी किया गया (अनुलग्नक 1)। याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी एलओआई (अनुलग्नक 1) के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत करना, पर्यावरण

और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ('एमओईएफसीसी') से पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्राप्त करना और नियम 1986 के नियम 37 (जे) के अनुसार शपथपत्र के साथ वित्तीय सुरक्षा जैसी कुछ शर्तों को याचिकाकर्ता द्वारा पूरा किया जाना था।

4. रिट याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी (सिविल) संख्या 34134/2013 में पारित आदेश का संदर्भ भी दिया गया है, जिसमें निर्देश जारी किया गया था कि जिन व्यक्तियों ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के समक्ष अपने आवेदन प्रस्तुत किए हैं, वे अस्थायी वर्क परमिट पर खनन कार्य कर सकते हैं।

5. यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने पर्यावरण मंजूरी ('ईसी') के लिए आवेदन किया था, लेकिन लंबी और बोझिल प्रक्रिया के कारण तथा नए निर्देश जारी करने के कारण अपेक्षित ईसी प्राप्त नहीं हो सकी। इस बीच, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21.06.2012 की अधिसूचना (अनुलग्नक 2) जारी की गई, जिसके तहत यह घोषित किया गया कि जब तक संशोधित नियम 2012 के अनुसार एम.एल. पूरी तरह प्रभावी नहीं हो जाते, तब तक नियमों में संशोधन से पहले प्रचलित उत्खनन की प्रक्रिया जारी रहेगी। दिनांक 21.06.2012 की उक्त अधिसूचना का इस न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर करके विरोध किया गया, जो डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13189/2013: नेचर क्लब बनाम राजस्थान राज्य थी, जिसमें यह निर्देश मांगा गया था कि राज्य को पर्यावरण मंजूरी के बिना और संशोधनों का अनुपालन किए बिना रेत खनन की अनुमति देने से रोका जाए। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.04.2013 के आदेश (अनुलग्नक 3) के तहत उक्त जनहित याचिका का निपटारा किया गया। राज्य द्वारा समय विस्तार के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, क्योंकि राज्य छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद नए नियमों को लागू करने में असमर्थ था। हालांकि उक्त आवेदन 21.10.2013 को खारिज कर दिया गया।

6. दिनांक 21.10.2013 के आदेश को राजस्थान राज्य और ऑल राजस्थान बजरी ट्रक ऑपरेटर्स सोसायटी के अध्यक्ष नवीन शर्मा ने एसएलपी (एस) अर्थात एसएलपी संख्या 34134/2013 : राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम नेचर क्लब और 34811/2013 : नवीन शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य दायर करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। उपरोक्त एसएलपी में दिनांक 25.11.2013 का अंतरिम आदेश (अनुलग्नक 4) पारित किया गया और 82 पट्टाधारकों को बजरी खनिज के उत्खनन की अनुमति दी गई, जिन्होंने ईसी के लिए आवेदन किया था। एलओआई धारकों को केवल बजरी की खुदाई की अनुमति

दी जा रही थी, हालांकि, यह कटऑफ तिथि यानी 28.02.2014 तक ही सीमित थी, क्योंकि एमओईएफसीसी ने तीन महीने की अवधि के भीतर एक्ससी देने की प्रक्रिया पूरी करने का वचन दिया था।

7. तत्पश्चात, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार ने दिनांक 19.12.2013 के आदेश (अनुलग्नक 5) के तहत सभी आवेदकों को अस्थायी अनुमति प्रदान की, जिसके तहत यह निर्देश दिया गया कि आवेदकों को जारी किए गए एलओआई के मद्देनजर लीज होल्ड क्षेत्र के लिए खनिज बजरी के उत्खनन की अनुमति प्रदान की गई थी, साथ ही जीव-जंतुओं और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए एलओआई धारकों द्वारा पालन की जाने वाली शर्तों का प्रावधान किया गया था। दिनांक 19.12.2013 के आदेश (अनुलग्नक 5) के अनुसरण में, प्रतिवादियों ने 29.12.2013 (अनुलग्नक 6) को एक समझौता निष्पादित किया, जिसके तहत याचिकाकर्ता को अस्थायी कार्य परमिट प्रदान करने के आदेश के तहत नियमों और शर्तों के अनुसार 29.12.2013 से 28.02.2014 तक की अवधि के लिए पट्टा प्रदान किया गया था।

8. रिट याचिका में आरोप लगाया गया है कि चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश 28.02.2014 तक सीमित थे, इसलिए राज्य सरकार ने समय विस्तार के लिए आवेदन किया, क्योंकि आवेदकों को दी जाने वाली पर्यावरण मंजूरी को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और दिनांक 24.02.2014 के आदेश के अनुसार, मामले को 30.03.2014 को तय करते हुए अनुमति को 31.03.2014 तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद, 27.03.2014 को, माननीय न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद निर्देश दिया कि पट्टा क्षेत्र में बजरी की खुदाई के लिए 82 एलओआई धारकों को अस्थायी अनुमति देने के अंतरिम निर्देश तब तक जारी रहेंगे जब तक कि न्यायालय मामले की सुनवाई नहीं कर लेता और आगे के आदेश पारित नहीं कर देता। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा पहले के समझौते के क्रम में दिनांक 31.03.2014 का अनुपूरक समझौता (अनुलग्नक 7) निष्पादित किया गया।

9. रिट याचिका में आरोप लगाया गया है कि जब याचिकाकर्ता पर्यावरण मंजूरी के लिए अपने आवेदन पर काम कर रहा था, तब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान राज्य की 70 परियोजनाओं की पुनः जांच की, जहां पर्यावरण मंजूरी नहीं दी गई थी और वैज्ञानिक पुनःपूर्ति अध्ययन करने की नई शर्त लगाई गई थी।

10. एसएलपी (सी) संख्या 34134/2013: नेचर क्लब ऑफ राजस्थान बनाम राजस्थान राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 16.11.2017 का आदेश

(अनुलग्नक 9) पारित किया, जिसके तहत वैज्ञानिक पुनःपूर्ति अध्ययन किए जाने और ईसी दिए जाने तक 82 एलओआई धारकों द्वारा की जाने वाली खनन गतिविधि रोक दी गई। इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 19.02.2020 के आदेश (अनुलग्नक 10) के तहत राजस्थान राज्य में नदी रेत खनन के मुद्दे पर विचार करने के लिए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) नियुक्त की। इसके बाद सीईसी ने ईसी देने में देरी के मुद्दे और उसके कारणों पर विचार किया, पाया कि ईसी देने के लिए वार्षिक पुनःपूर्ति की मांग निराधार थी और इसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर अवैध खनन होगा और कुछ टिप्पणियां कीं। याचिकाकर्ता ने सीईसी की रिपोर्ट की प्रति अनुलग्नक 11 के रूप में संलग्न की है।

11. इसके बाद याचिकाकर्ता ने 14.10.2020 को सक्षम अधिकारियों को पुनःपूर्ति अध्ययन प्रस्तुत किया और उसके बाद 03.02.2022 के पत्राचार (अनुलग्नक 13) के माध्यम से याचिकाकर्ता के पक्ष में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ('एनबीडब्ल्यूएल') से अनुमति प्राप्त करने की शर्त के साथ पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई।

12. इस बीच, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 202/1995 में पारित दिनांक 03.06.2022 के आदेश के अनुसरण में, जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि इको सेंसिटिव जोन के 1 किलोमीटर क्षेत्र में कोई खनन पट्टा संचालित नहीं किया जाएगा, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी अधिकारियों के समक्ष दिनांक 30.09.2022 को एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अनुरोध किया गया कि इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आने वाले उसके खनन पट्टे का क्षेत्र मूल क्षेत्र से कम किया जाए और शेष क्षेत्र, जो इको सेंसिटिव जोन में नहीं है, के लिए वह संशोधित आशय पत्र जारी कर सकता है। याचिकाकर्ता के अनुरोध पर प्रतिवादी संख्या 4 ने पाया कि 4280 हेक्टेयर क्षेत्र में से कुल 380.87 हेक्टेयर क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन में आता है और प्रतिवादी संख्या 2 से शेष क्षेत्र यानी 3899.13 हेक्टेयर के लिए संशोधित आशय पत्र जारी करने का अनुरोध किया।

13. इसके बाद प्रतिवादियों ने 17.10.2022 को याचिकाकर्ता के पक्ष में डाइस-नॉन अवधि के लिए स्वीकृति आदेश जारी किया (अनुलग्नक 14)। याचिकाकर्ता के पक्ष में पट्टे का कब्जा सौंपने की तारीख से 13 महीने और 12 दिनों के लिए स्वीकृति आदेश जारी किया गया था। स्वीकृति आदेश में कुछ शर्तें और पूर्व-आवश्यकताएँ भी निर्धारित की गई थीं जिन्हें याचिकाकर्ता को पूरा करना था। इस प्रकार याचिकाकर्ता को आदेश जारी करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर वार्षिक डेड रेंट, परफॉर्मेंस सेकुरिटी, सुरक्षा जमा आदि जमा करना आवश्यक

था। एक शर्त यह भी रखी गई थी कि यदि याचिकाकर्ता तीन महीने के भीतर समझौते को निष्पादित करने में विफल रहता है, तो पट्टे के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा की गई जमा राशि जब्त करने के बाद इसे रद्द कर दिया जाएगा। याचिकाकर्ता ने 09.03.2023 को समझौता निष्पादित किया (अनुलग्नक 15) और इस प्रकार आवश्यक मौद्रिक पहलुओं को प्रस्तुत करके पूर्व-आवश्यकताओं को पूरा किया।

14. चूंकि कुछ क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन के 10 किलोमीटर के दायरे में आता था, इसलिए इसके लिए अपेक्षित संचालन सहमति लागू नहीं की जा सकती थी, क्योंकि इसके लिए एनबीडब्ल्यूएल की अनुमति की आवश्यकता थी। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी अधिकारियों के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें इसकी सूचना दी गई और खनन पट्टा क्षेत्र से इको सेंसिटिव जोन में आने वाले क्षेत्र को कम करने की मांग की गई। याचिकाकर्ता के अनुरोध पर, खनन अभियंता ने अपने पत्र दिनांक 16.01.2024 (अनुलग्नक 16) के माध्यम से अधीक्षण खनन अभियंता को संबोधित करते हुए अनुरोध किया कि याचिकाकर्ता के 4280 हेक्टेयर क्षेत्र में से 380.87 इको सेंसिटिव जोन में आता है और इस प्रकार शेष क्षेत्र 3899.13 हेक्टेयर के लिए अनुमोदन जारी किया जा सकता है।

15. याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में आरोप लगाया है कि एनबीडब्ल्यूएल की अनुमति के बिना संचालन की सहमति लागू नहीं की जा सकती है और पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को कम करने के बाद शेष बचे क्षेत्र को बदलने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा गया था और यह अधिकारियों के समक्ष विचाराधीन है, जबकि पट्टे की अवधि याचिकाकर्ता के उत्खनन गतिविधियों को करने में सक्षम हुए बिना लागू है, जिससे याचिकाकर्ता का खनन पट्टा निरर्थक और बेकार हो जाता है।

16. रिट याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि यद्यपि प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता को 13 महीने और 12 दिनों की अवधि के लिए खनन पट्टा प्रदान किया है, जिसके लिए 06.02.2023 को खनन पट्टा निष्पादित किया गया है, तथापि, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में कमी के बाद, शेष क्षेत्र के लिए संचालन की सहमति न दिए जाने के कारण, याचिकाकर्ता खनिज का उत्खनन करने में असमर्थ है, जिसके कारण पट्टे की अवधि समाप्त हो जाएगी।

17. प्रतिवादी समझौते की तारीख से पट्टे की समयावधि को ध्यान में रख रहे हैं, जिसमें याचिकाकर्ता बिना अनुमति प्राप्त किए खनिज का उत्खनन करने में असमर्थ है, इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता को 28.12.2023 को वन विभाग द्वारा एनओसी जारी की गई है (अनुलग्नक 17)।

18. इस प्रकार याचिकाकर्ता ने अनिवार्य रूप से समझौते की तारीख से पट्टे की अवधि की गणना करने में प्रतिवादियों के कृत्य और कार्रवाई को चुनौती दी है, अर्थात पट्टे का कब्जा सौंपने की तारीख से।

19. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से दलील दी कि प्रतिवादियों द्वारा लीज की अवधि को समझौते की तिथि से अर्थात् लीज का कब्जा सौंपने की तिथि से गिनने की कार्रवाई मनमानी और तर्कहीन है, क्योंकि याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारियों से ईसी और अन्य मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही खनन गतिविधियों का संचालन करने या खनिज उत्खनन करने की अनुमति है, जिसके परिणामस्वरूप लीज की अवधि समाप्त हो जाएगी।

20. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने अनुमति के लिए एनबीडब्ल्यूएल के समक्ष आवेदन किया था, हालांकि, उसे मंजूरी नहीं दी गई। उन्होंने आगे दलील दी कि हालांकि इको सेंसिटिव जोन में आने वाले क्षेत्र को कम करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है, हालांकि, यह संबंधित अधिकारियों के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है और इसलिए, याचिकाकर्ता को देरी के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

21. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि 29.12.2013 के अनुबंध (अनुलग्नक 6) में उल्लिखित जिला पाली, तहसील मारवाड़ जंक्शन में स्थित खनन पट्टे के अंतर्गत कुल 4280 हेक्टेयर क्षेत्र आता है, जबकि रावली ताड़गढ़ अभ्यारण्य को 1 किलोमीटर की परिधि तक दिनांक 13.04.2017 को तथा कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को 5 किलोमीटर की परिधि तक दिनांक 18.06.2020 को ईएसजेड के रूप में अधिसूचित किए जाने के पश्चात याचिकाकर्ता ने विधिवत ईसी के लिए आवेदन किया तथा अनाजी की ढाणी, खेड़ा कल्याणपुरा, गुडा भोपट, गुडा हिमता, गोलकी, जोड़किया, बांसोर, हलावर, ढेलपुरा, राणानाडी, जोजावर तथा धनला जिलों में फैले 380.87 हेक्टेयर क्षेत्र को कम करने के लिए अधिकारियों को पत्र भी लिखा। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि इस मामले में यदि अधिकारियों ने क्षेत्र को कम कर दिया होता, तो याचिकाकर्ता पर शेष 3899.13 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सीटीओ मांगने की कोई बाध्यता नहीं होती।

22. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि यह प्रतिवादियों की गलती थी क्योंकि याचिकाकर्ता के पक्ष में 17.10.2022 को मंजूरी आदेश दिया गया था (अनुलग्नक 14) लेकिन समझौते का निष्पादन 09.03.2023 को हुआ, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रतिवादियों को 17.10.2022 (अनुलग्नक 14) के

मंजूरी आदेश को निष्पादित करने में छह महीने लग गए और इस प्रकार याचिकाकर्ता को देरी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

23. प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कथनों को नकारते हुए रिट याचिका पर जवाब दाखिल किया है। जवाब में प्रतिवादियों ने विशेष रूप से आरोप लगाया है कि एलओआई धारकों के पक्ष में जारी किए जाने वाले एलओआई की शर्तों को एलओआई जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक है, जिसका याचिकाकर्ता ने एक वर्ष की निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुपालन नहीं किया है। जहां तक एलओआई की शर्त संख्या 2 का संबंध है, याचिकाकर्ता उक्त शर्त को पूरा करने में विफल रहा है। याचिकाकर्ता ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से दिनांक 03.02.2022 के पत्र द्वारा 4280 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की और इसे दिनांक 21.02.2022 को ई-मेल द्वारा प्रतिवादी को प्रस्तुत किया गया। उक्त पर्यावरण मंजूरी की वैधता जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए थी। उत्तर में प्रतिवादियों ने आरोप लगाया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी (सिविल) संख्या 34811/2023 में पारित दिनांक 25.11.2023 के आदेश के अनुसार, दिनांक 19.12.2013 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में एक अस्थायी वर्क परमिट जारी किया गया था, जो 28.02.2014 तक वैध था और उसके बाद याचिकाकर्ता ने 29.12.2013 से क्षेत्र में खनन गतिविधियाँ शुरू कर दीं। उक्त अस्थायी वर्क परमिट को प्रतिवादियों द्वारा 31.03.2014 तक बढ़ा दिया गया था और उसके बाद अस्थायी वर्क परमिट को अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया था। प्रतिवादियों ने 13.04.2017 की अधिसूचना का भी हवाला दिया है, जिसके तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने रावली ताड़गढ़ अभ्यारण्य के 01 किलोमीटर के दायरे तक को इको सेंसिटिव जोन अधिसूचित किया है। प्रतिवादियों ने दिनांक 17.10.2022 के आदेश (अनुलग्नक-14) के तहत दिनांक 17.11.2017 के एम.एल. में 29.12.2013 से 28.1.2018 तक की अवधि को डाइस-नॉन अवधि घोषित किया था तथा 17.11.2017 से 28.12.2018 (13 माह 12 दिन) की अवधि को ध्यान में रखते हुए खनन पट्टे का कब्जा लेने की तिथि से 13 माह 12 दिन की अवधि के लिए सशर्त स्वीकृति जारी की गई थी। तदनुसार अनुबंध दिनांक 16.01.2023 को निष्पादित किया गया तथा पंजीकरण दिनांक 09.03.2023 को किया गया। प्रतिवादियों ने इस प्रकार यह आरोप लगाया है कि खनन पट्टा अनुबंध के पंजीकरण की तिथि से 09.03.2023 से 20.04.2024 तक अर्थात 13 महीने और 12 दिन की अवधि के लिए प्रभावी हुआ है। प्रतिवादियों ने आगे आरोप लगाया है कि प्रतिवादियों द्वारा खनन पट्टे का कब्जा 20.04.2024 को अवधि समाप्त होने पर ले लिया गया है।

24. प्रतिवादियों ने आगे आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता ने ई-मेल दिनांक 27.01.2023 के माध्यम से आवेदन भेजा, जिसमें बताया गया कि वन विभाग द्वारा 30.12.2022 को एलओआई के लिए एनओसी जारी की गई थी, जिसमें राजस्व गांव अर्थात नयागांव एलओआई के अंतर्गत आता है, और कुछ खसरे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 18.06.2020 की अधिसूचना के अनुसरण में कुंभलगढ़ (पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र) से 05 किलोमीटर की परिधि में आते हैं और याचिकाकर्ता ने एलओआई के तहत आवंटित खसरे से गांव नयागांव के खसरे को छोड़कर खनिज बजरी के अनुबंध को निष्पादित करने का अनुरोध किया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को दिनांक 27.01.2023 को आवेदन प्रस्तुत किया कि खसरा संख्या 147 (3.3 हेक्टेयर), 166 (3.47 हेक्टेयर) और खसरा संख्या 212 (3.51 हेक्टेयर) कुल 10.31 हेक्टेयर को छोड़कर संशोधित स्वीकृति आदेश जारी किया जाए। आवेदन पर आगे बढ़ते हुए, प्रतिवादी संख्या 4 ने निदेशक, खान एवं भूविज्ञान, उदयपुर को स्वीकृति आदेश में आवश्यक संशोधन करने के लिए दिनांक 12.05.2023 को पत्र जारी किया। प्रतिवादियों ने वन विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने और संयुक्त निरीक्षण करने के लिए दिनांक 04.09.2023 को पत्र जारी किया। उत्तर में, प्रतिवादियों ने आगे आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता ने 06.08.2015 को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, हालांकि, अनुमति प्रदान करने के संबंध में जानकारी प्रतिवादियों को नहीं दी गई है। याचिकाकर्ता राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ईसी (जिसकी अवधि 02.02.2023 को समाप्त हो चुकी है) द्वारा खनन पट्टे के लिए जारी संचालन सहमति की प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहा, जो नियमों के अनुसार पूर्वापेक्षा है। इसके अलावा, 2017 के नियमों के नियम 25 (3) के अनुसार, खनिज बजरी के लिए दिए गए खनन पट्टे के आंशिक समर्पण को स्वीकार करने का कोई प्रावधान नहीं है और याचिकाकर्ता ने इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी पेश नहीं किया है कि उसने पहले पट्टा क्षेत्र के आंशिक समर्पण के लिए आवेदन किया था।

25. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 202/1995 में पारित दिनांक 03.06.2022 के आदेश का हवाला देते हुए, विद्वान एएजी ने प्रस्तुत किया कि यदि खनन पट्टा राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, बायोस्फीयर रिजर्व, वन्यजीव गलियारों, बाघ/हाथी रिजर्व की परिधि में आता है, तो एनबीडब्ल्यूएल की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी। याचिकाकर्ता राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने में विफल रहा और आवेदन की स्थिति से भी अवगत कराने में विफल रहा, जो याचिकाकर्ता के अनुसार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के पास विचाराधीन था। हालांकि

याचिकाकर्ता इस तथ्य से अवगत था कि पर्यावरण मंजूरी के अनुसरण में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना, और इसलिए, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से अपेक्षित अनुमति के अभाव में, याचिकाकर्ता के पक्ष में संचालन की सहमति जारी नहीं की जा सकती थी। जवाब में यह भी आरोप लगाया गया है कि 2017 के नियम 9 (4) के प्रावधानों के अनुसार, खनन पट्टे की अवधि उस अवधि के बराबर बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए किसी अदालती आदेश के कारण खदानें बंद रहीं और ऐसी अवधि के लिए डेड रेंट प्रभार्य नहीं होगा। जवाब में यह स्पष्ट किया गया है कि जहां पट्टेदार की ओर से किसी गलती के कारण पट्टा बंद रहता है या पट्टे का कोई हिस्सा बंद हो गया था, अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी और ऐसी अवधि के लिए डेड रेंट प्रभार्य होगा। उत्तर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सीईसी रिपोर्ट का संदर्भ भी दिया गया है और आरोप लगाया गया है कि अस्थायी वर्क परमिट के तहत प्राप्त अवधि सहित पट्टे की अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिवादियों ने उत्तर में यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा वन विभाग से प्राप्त एनओसी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा जारी अनुमति के समतुल्य नहीं है। प्रतिवादियों ने दोहराया है कि याचिकाकर्ता राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से पूर्व अनुमति प्राप्त करने में विफल रहा है और इसके अलावा उसने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के समक्ष अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाला कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा है। इस प्रकार, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से अपेक्षित अनुमति के अभाव में, खनन पट्टे के लिए संचालन की सहमति जारी नहीं की गई।

इस प्रकार, रिट याचिका का जवाब दाखिल करके, प्रतिवादियों ने रिट याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की है।

26. याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए उत्तर पर प्रत्युत्तर भी दाखिल किया है। प्रत्युत्तर में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि पट्टा याचिकाकर्ता की गलती के कारण बंद नहीं हुआ, बल्कि इसलिए बंद हुआ क्योंकि याचिकाकर्ता ने पहले ही एनबीडब्ल्यूएल से अपेक्षित अनुमति के लिए आवेदन कर दिया था, लेकिन राज्य सरकार की ढिलाई के कारण इसे मंजूरी नहीं दी गई, जबकि याचिकाकर्ता ने वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए सभी संभव प्रयास किए थे। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि चूंकि खनन पट्टे के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन में आता है, इसलिए इसे कम नहीं किया गया, इसलिए पट्टे का बहुमूल्य समय बर्बाद हुआ और इसलिए देरी के लिए याचिकाकर्ता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। प्रत्युत्तर में याचिकाकर्ता ने ईसी प्राप्त करने में हुई देरी को स्पष्ट करने का प्रयास किया और उक्त देरी के लिए एमओईएफसीसी

को जिम्मेदार ठहराया और सीईसी की रिपोर्ट पर भरोसा किया। याचिकाकर्ता ने पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को कम करने के बाद बचे क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से अनुमति के लिए आवेदन किया था, हालांकि, याचिकाकर्ता का आवेदन अधिकारियों के समक्ष विचाराधीन है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने दिनांक 14.10.2022 को एक संचार (अनुलग्नक 19) प्रस्तुत किया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 से अनुरोध किया गया कि खनन पट्टे का कुछ हिस्सा पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है, इसलिए याचिकाकर्ता के पक्ष में संशोधित आशय पत्र जारी किया जाए, हालांकि, याचिकाकर्ता के आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद याचिकाकर्ता ने फिर से प्रतिवादियों से 06.01.2023 (अनुलग्नक 20) को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को कम करने के बाद बचे क्षेत्र के लिए संशोधित स्वीकृति पत्र जारी करने का अनुरोध किया।

27. याचिकाकर्ता द्वारा एक अतिरिक्त हलफनामा भी दायर किया गया है। अतिरिक्त हलफनामे के साथ, याचिकाकर्ता ने अनुलग्नक ए के रूप में दिनांक 08.08.2019 के कार्यालय ज्ञापन की प्रति प्रस्तुत की है, जो अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के तहत ईसी की मांग करने वाले राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभयारण्यों के 10 किलोमीटर के भीतर स्थित विकास परियोजनाओं पर विचार करने की प्रक्रिया प्रदान करता है। याचिकाकर्ता ने एमओईएफसीसी द्वारा जारी दिनांक 16.07.2020 (अनुलग्नक बी) के पत्र की एक प्रति भी प्रस्तुत की है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अधिसूचित ईएसजेड (ड्राफ्ट अधिसूचना नहीं) के भीतर स्थित परियोजना/गतिविधि से संबंधित प्रस्ताव और ईआईए की अनुसूची में सूचीबद्ध और पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति से पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी। इस प्रकार दिनांक 16.07.2020 के स्पष्टीकरण पर भरोसा करते हुए, यह कहा गया है कि यदि प्रतिवादी याचिकाकर्ता के खनन पट्टे से उस क्षेत्र को कम करने के अनुरोध को स्वीकार करते हैं जो इको सेंसिटिव ज़ोन के अंतर्गत आता है, तो याचिकाकर्ता को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी और इस प्रकार संचालन के लिए सहमति प्राप्त की जा सकती है, जिससे याचिकाकर्ता खनन कार्य करने में सक्षम हो सके।

28. प्रतिवादियों द्वारा प्रतिउत्तर के साथ दायर दस्तावेजों के संबंध में कुछ प्रारंभिक आपत्ति उठाते हुए प्रतिउत्तर का उत्तर दायर किया गया है, जो रिट याचिका का अभिन्न अंग नहीं थे और प्रतिउत्तर में किए गए कथनों को अस्वीकार कर दिया

गया है। प्रतिवादियों ने प्रतिउत्तर के उत्तर में दोहराया है कि नियम 2017 के नियम 25 (3) के दूसरे प्रावधान के अनुसार, खनिज बजरी के लिए खनन पट्टे का आंशिक समर्पण अनुमेय नहीं है। दिनांक 16.01.2023 को पट्टा समझौते के निष्पादन से पहले, याचिकाकर्ता शर्तों से अच्छी तरह वाकिफ था और शर्तों से सहमत होते हुए बिना किसी विरोध के समझौता निष्पादित किया गया था। यदि याचिकाकर्ता को शर्तों से कोई शिकायत होती, तो भी याचिकाकर्ता ने 16.01.2023 को अनुबंध नहीं किया होता और 09.03.2023 को उसका पंजीकरण नहीं कराया होता। याचिकाकर्ता ने उपलब्ध उपायों का लाभ न उठाते हुए पट्टा अनुबंध के निष्पादन की तिथि से एक वर्ष की देरी के बाद याचिका दायर की है। रिट याचिका में आवश्यक और उचित पक्ष अर्थात पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पक्षकार नहीं बनाने पर भी आपत्ति उठाई गई है, क्योंकि अपेक्षित अनुमति अर्थात संचालन की सहमति जारी करने में देरी के लिए इन प्राधिकरणों को जिम्मेदार ठहराया गया है।

29. विद्वान एएजी ने जोरदार ढंग से दलील दी कि आवश्यक वैधानिक प्रक्रियात्मक अनुमतियों/आवश्यकताओं का पालन किए बिना याचिकाकर्ता को उसके पक्ष में जारी किए जा रहे खनन पट्टे के अनुसार खनन गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दलील दी गई कि राजस्थान राज्य में संचालित लघु खनिज खनन पट्टा 2017 के नियमों द्वारा शासित है। उन्होंने आगे दलील दी कि याचिकाकर्ता खनन पट्टे के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से अनुमति प्रस्तुत करने में विफल रहा है और याचिकाकर्ता ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और खनन पट्टे के लिए ईसी (02.02.2023 को समाप्त होने के बाद) द्वारा जारी संचालन की सहमति भी प्रस्तुत नहीं की है, जो नियमों के अनुसार अनिवार्य है। प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि खनन पट्टे की अवधि 20.04.2024 को समाप्त हो गई थी और खनन पट्टे का कब्जा राज्य द्वारा ले लिया गया है। प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि खनिज बजरी के लिए खनन पट्टा पांच साल के लिए दिया गया था, जो सीईसी की सिफारिशों के अनुरूप है, विशेष रूप से सिफारिश संख्या 'के', जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है और इसलिए, प्रतिवादियों द्वारा खनन पट्टे की अवधि को पांच साल से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

30. विद्वान ए.ए.जी. ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए आवेदन की वर्तमान

स्थिति को रिकॉर्ड पर रखने में बुरी तरह विफल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि 2017 के नियम 25 (3) के अनुसार, खनिज बजरी के लिए दिए गए खनन पट्टे के आंशिक समर्पण को स्वीकार करने का कोई प्रावधान नहीं है और याचिकाकर्ता ने इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं रखा है कि उसने पहले पट्टा क्षेत्र के आंशिक समर्पण के लिए आवेदन किया था। विद्वान ए.ए.जी. ने कहा कि डाइस-नॉन अवधि 17.11.2017 से 28.12.2018 तक प्रभावी थी और खनन पट्टे की उक्त अवधि (यानी 13 महीने और 12 दिन) पर विचार करते हुए, बाद में 2017 के नियमों के तहत उल्लिखित शर्तों के अनुसार सशर्त अनुमोदन जारी किया गया था। प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 03.06.2022 के निर्णय के अनुसार, यदि खनन पट्टा राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों, बायोस्फीयर रिजर्व, वन्यजीव गलियारों, टाइगर/एलिमेंट रिजर्व के इको सेंसिटिव जोन परिधि में आता है, तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुमति अनिवार्य है। प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रकार प्रस्तुत किया कि जब तक याचिकाकर्ता राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से अपेक्षित अनुमति प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक किसी भी खनन गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने प्रश्नगत खनन पट्टे के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या ईसी द्वारा जारी संचालन हेतु सहमति की प्रति प्रस्तुत नहीं की है, जो नियमों के अनुसार अनिवार्य है।

31. विद्वान एएजी ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने नियम 2017 के नियम 25 (3) के अनुसार कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने जवाब में किए गए अपने तर्कों को दोहराते हुए कहा कि चूंकि खनन पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद, खनन पट्टे का कब्जा प्रतिवादियों द्वारा 20.02.2024 को पहले ही ले लिया गया है, इसलिए रिट याचिका में कुछ भी नहीं बचा है और इसलिए रिट याचिका खारिज की जाए।

32. इस प्रकार, रिट याचिका का जवाब दाखिल करके, प्रतिवादियों ने रिट याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की है।

33. मैंने पक्षों के वकील द्वारा किए गए तर्कों पर विस्तार से विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

34. इस न्यायालय ने पाया कि इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता को स्वीकृत 4280 हेक्टेयर क्षेत्र में से अनाजी की ढाणी, खेड़ा कल्याणपुरा, गुड़ा भोपत, गुड़ा हिमता, गोलकी, जोड़किया, बांसोर, हलावर, ढेलपुरा, राणाडी, जोजावर और धनला जिलों में फैले 380.87 हेक्टेयर क्षेत्र ईएसजेड के अंतर्गत आते थे, जैसा कि

याचिकाकर्ता द्वारा अधीक्षण खनन अभियंता को संबोधित दिनांक 16.01.2024 (अनुलग्नक 16) के संचार से स्पष्ट है और इसलिए, नवीन शर्मा बनाम राजस्थान राज्य [अपील के लिए विशेष अनुमति (सी) संख्या 34811/2013 दिनांक 16.10.2017 को निर्णीत] (अनुलग्नक 9) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, याचिकाकर्ता ने वर्ष 2022 में एनबीडब्ल्यूएल में आवेदन किया, तथापि याचिकाकर्ता द्वारा एनबीडब्ल्यूएल में किए गए आवेदन के अवलोकन से यह देखा गया कि क्रम संख्या (xix) के शीर्षक 'पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के अंदर परियोजना क्षेत्र (हेक्टेयर में)' तथा क्रम संख्या (xx) के शीर्षक 'पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के बाहर परियोजना क्षेत्र (हेक्टेयर में)' के विरुद्ध उत्तर '0' (शून्य) दर्शाया गया है, जो दर्शाता है कि याचिकाकर्ता एनबीडब्ल्यूएल से अनुमति लिए बिना खनन गतिविधि को आगे बढ़ाने का इरादा रखता था तथा उसने एनबीडब्ल्यूएल को इस तथ्य के बारे में गुमराह करने का भी प्रयास किया कि खनन के लिए स्वीकृत याचिकाकर्ता की भूमि पर ईएसजेड के अंतर्गत कोई क्षेत्र नहीं आता है।

35. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ [रिट याचिका संख्या 202/1995 दिनांक 03.06.2022 को तय] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में ऐसे मामलों में जहां ईएसजेड पहले से ही निर्धारित है और क्षेत्र उक्त ईएसजेड के 1 किमी के भीतर आता है, तो उस क्षेत्र को तब तक बनाए रखा जाएगा जब तक कि राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य द्वारा अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता। संबंधित पैरा निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> "(ख) हालांकि, यदि कानून के अनुसार ईएसजेड पहले से ही एक किलोमीटर बफर जोन से आगे तक निर्धारित है, तो व्यापक मार्जिन मान्य होगा। यदि एक किलोमीटर से अधिक व्यापक बफर जोन किसी विशेष राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य के वैधानिक साधन के तहत प्रस्तावित है, जिसके संबंध में अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा है, तो ऐसा अंतिम निर्णय लिए जाने तक प्रस्तावित एक किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करने वाले ईएसजेड को बनाए रखा जाएगा।"

इस प्रकार, एनबीडब्ल्यूएल से अनुमति के अभाव में, प्रतिवादी याचिकाकर्ता को खनन गतिविधियों को करने की अनुमति नहीं दे सकता था। इसके अलावा,

याचिकाकर्ता के दिनांक 16.01.2024 के संचार (अनुलग्नक 16) में प्रतिवादियों से अनुरोध किया गया है कि वे उसे स्वीकृत कुल खनन क्षेत्र 4280 हेक्टेयर से खनन क्षेत्र को घटाकर 3899.13 हेक्टेयर करें, जबकि कहा गया है कि उक्त कमी के बाद, एनबीडब्ल्यूएल की अनुमति की आवश्यकता नहीं है और याचिकाकर्ता खनन गतिविधियों को आगे बढ़ा सकता है, जो टीएन गोदावर्मन थिरुमुलपाद (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में स्वीकार्य नहीं है, जिसमें एनबीडब्ल्यूएल से अनुमति लेना अनिवार्य है, जहां क्षेत्र का हिस्सा ईएसजेड के अंतर्गत आता है। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि 2017 के नियमों के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रदर्शित किया गया है या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद (उपरोक्त) के मामले में जारी निर्देश के तहत प्रतिवादी ईएसजेड के भीतर आने वाले खनन क्षेत्र को कम कर सकता है, और याचिकाकर्ता को एनबीडब्ल्यूएल से अनुमति लिए बिना खनन गतिविधियों को करने की अनुमति दी जा सकती है।

36. यह न्यायालय यह भी देखता है कि याचिकाकर्ता ने एलओआई की शर्त 2 के अनुपालन में, एमओएफसीसी से दिनांक 03.02.2022 के पत्र (अनुलग्नक 13) के माध्यम से ईसी प्राप्त किया, जिसे प्रतिवादियों को दिनांक 21.02.2022 के ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। उक्त पत्र में उल्लिखित विशिष्ट शर्तों के अनुसार, ईसी की वैधता ईसी जारी करने की तारीख से एक वर्ष थी, यानी 03.02.2022 से 03.02.2023 तक, इस प्रकार, यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता के पास पहले की ईसी की समाप्ति के बाद न तो ईसी है और न ही कोई दस्तावेज रिकॉर्ड में रखा गया है जो दर्शाता है कि उक्त खनन क्षेत्र के लिए ईसी का नवीनीकरण किया गया था। दिनांक 03.02.2022 (अनुलग्नक 13) के पर्यावरण स्वीकृति पत्र की प्रासंगिक शर्त निम्नानुसार है:

> "ए. विशिष्ट शर्तें
>
> xxxx
>
> (xii) .... 11.2 लाख टीपीए (आरओएम) की अनुमेय खनन योग्य सामग्री ईसी जारी होने के दिन से एक वर्ष तक वैध होगी।"

दिनांक 03.02.2022 के पर्यावरण स्वीकृति के लिए पत्र (अनुलग्नक 13) के आलोक में, पर्यावरण स्वीकृति की अवधि 03.02.2023 को ही समाप्त हो गई थी और इस प्रकार उसके बाद याचिकाकर्ता को कोई और पर्यावरण स्वीकृति नहीं दी

गई और इसलिए पर्यावरण स्वीकृति के नवीनीकरण के अभाव में भी याचिकाकर्ता को खनन गतिविधियों को करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी।

37. यह भी देखा गया है कि दिनांक 16.08.2022 की अधिसूचना के माध्यम से राजस्थान खनन खनिज रियायत नियम, 2017 ('नियम 2017') में नियम 9(3ए) को शामिल करके संशोधन किया गया है। नियम 3ए इस प्रकार है:

> "(3ए) उपनियम (1), (2) एवं (3) में किसी बात के होते हुए भी, बजरी (नदी रेत एवं खातेदारी भूमि में) के पट्टों को छोड़कर अन्य विद्यमान खनन पट्टों की अवधि को निम्नलिखित शर्तों के अधीन 31 मार्च, 2040 तक आगे बढ़ाया जा सकेगा:-
>
> (i) खनन पट्टे की अवधि बढ़ाने के लिए ऑनलाइन आवेदन संबंधित खनन अभियंता या सहायक खनन अभियंता को दस हजार रुपये की अप्रतिदेय फीस के साथ प्रस्तुत किया जाएगा;
>
> (ii) पट्टेदार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई अवैध खनन गतिविधि नहीं की है अथवा मामला समझौता योग्य है;
>
> (iii) विस्तारित अवधि के लिए खनन पट्टे का डेड रेंट अनुसूची III के अनुसार होगा: बशर्ते कि इस प्रकार गणना किया गया डेड रेंट विद्यमान डेड रेंट के दोगुने से अधिक नहीं होगा और यदि अधिक हो तो विद्यमान डेड रेंट के दोगुने तक सीमित होगा;
>
> (iv) पट्टेदार द्वारा मांगे गए विस्तार या उसके भाग के प्रत्येक वर्ष के लिए खंड (iii) के अनुसार क्षेत्र के वार्षिक डेडरेंट की दर से प्रीमियम राशि का अग्रिम भुगतान; और
>
> (v) खनन पट्टा अवधि के विस्तार के लिए आवेदन के निपटान के लिए सक्षम प्राधिकारी नियम 16 में दिए गए अनुसार ही होगा।

टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, खनन पट्टे के विस्तार के लिए खनन अभियंता को प्रस्तुत किए जाने वाले ऑनलाइन आवेदन की अनुमति देकर 2017 के नियमों में आवश्यक संशोधन किए गए थे। इसके अलावा, 2017 के नियमों के नियम 9(4) के तहत, पट्टे की अवधि को उस अवधि के बराबर बढ़ाया जा सकता है, जिसके

लिए खदानें किसी अदालती आदेश के कारण बंद रही हैं और उक्त अवधि के लिए डेड रेंट प्रभार्य नहीं होगा, और 2017 के नियमों के नियम 9(4) में एक प्रावधान है कि, जहां पट्टेदार की ओर से किसी गलती के कारण ऐसा पट्टा बंद रहा है या जहां उक्त पट्टे का केवल एक हिस्सा बंद हुआ है, तो ऐसी अवधि को बढ़ाया नहीं जाएगा और ऐसी अवधि के लिए डेड रेंट प्रभार्य होगा। 2017 के नियम 9(4) में निम्नलिखित प्रावधान है:

> "(4) पट्टे की अवधि उस अवधि के बराबर बढ़ाई जा सकेगी जिसके लिए खदानें किसी न्यायालय के आदेश के कारण बंद रहीं (डाइस-नॉन) और ऐसी अवधि के लिए डेड रेंट प्रभार्य नहीं होगा:
>
> बशर्ते कि जहां पट्टा पट्टेदार की ओर से किसी गलती के कारण बंद रहता है या जहां पट्टे का केवल एक भाग बंद था, अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी और ऐसी अवधि के लिए डेड रेंट प्रभार्य होगा।"

खनन पट्टा इस तथ्य के कारण बंद रहा कि याचिकाकर्ता ने एनबीडब्ल्यूएल से अनुमति लेने की अनिवार्य शर्त को पूरा नहीं किया और इस प्रकार, 2017 के नियम 9(4) के प्रावधान के प्रकाश में, याचिकाकर्ता की गलती के कारण 13 महीने 12 दिनों की अवधि से अधिक अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती।

यह भी देखा गया है कि, वर्तमान मामले में, निस्संदेह, प्रतिवादी ने नियम 2017 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 17.10.2022 (अनुलग्नक 14) का स्वीकृति आदेश जारी किया है, और 17.11.2017 से 28.12.2018 तक की अवधि को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता को अनुमति प्रदान की है। दिनांक 17.10.2022 (अनुलग्नक 14) के स्वीकृति आदेश का अवलोकन करने पर, यह पता चलता है कि शीर्षक 15 'अन्य शर्तें' के अंतर्गत एक अनिवार्य शर्त का उल्लेख किया गया है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> "8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा I.A. No.1000 OF 2003 में पारित आदेष दिनांक 03-06-2022 के क्रम National Parks, Sanctuaries, Biophere Reserves, Wildlife Corridors, Tiger/ Element Reserve में से 01 किलोमीटर की परिधि में नहीं आने की सूचना NBWL से प्राप्त होने के उपरान्त ही पट्टेधारी द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य किया जावेगा।"

38. यह भी देखा गया है कि दिनांक 13.04.2017 की अधिसूचना के अनुसार, रावली ताड़गढ़ अभ्यारण्य के ईएसजेड को 1 किमी की परिधि तक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था और यह भी देखा गया है कि खनन पट्टे के लिए याचिकाकर्ता की स्वीकृत भूमि का कुछ क्षेत्र रावली ताड़गढ़ अभ्यारण्य के उक्त ईएसजेड के साथ ओवरलैप हो रहा था। तत्पश्चात, प्रतिवादी ने दिनांक 17.10.2022 के स्वीकृति आदेश (अनुलग्नक-14) के तहत याचिकाकर्ता को दिनांक 17.11.2017 को दिए गए खनन पट्टे में 29.12.2017 से 28.12.2018 तक की अवधि को निष्क्रिय अवधि घोषित किया था, इस प्रकार, खनन पट्टे का कब्जा लेने की तिथि से 17.11.2017 से 28.12.2017 तक 13 महीने और 12 दिनों के लिए सशर्त स्वीकृति दी गई थी। तत्पश्चात, दिनांक 17.10.2022 (अनुलग्नक-14) के स्वीकृति आदेश के अनुसार अनुबंध 16.01.2023 को निष्पादित किया गया तथा पंजीकरण 09.03.2024 को किया गया, अतः उक्त खनन पट्टा अनुबंध के पंजीकरण की तिथि से प्रभावी हो गया तथा समाप्ति अवधि 09.03.2024 से प्रारंभ होकर 20.04.2024 तक चली। इस प्रकार, याचिकाकर्ता का यह तर्क कि प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के खनन पट्टे पर कब्जा लेते समय मनमाने तरीके से काम किया, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि समाप्ति अवधि अर्थात 20.04.2024 की समाप्ति के पश्चात ही प्रतिवादियों ने खनन पट्टे पर कब्जा लिया।

39. यह न्यायालय आगे यह भी देखता है कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि प्रतिवादी द्वारा समझौते की तिथि से पट्टे की अवधि की गणना करने की कार्रवाई मनमाना है, योग्यता से रहित है क्योंकि ऐसी शर्त दिनांक 17.10.2022 (अनुलग्नक 14) के स्वीकृति आदेश में मौजूद थी और याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका में इस शर्त को चुनौती नहीं दी गई है। याचिकाकर्ता ने दिनांक 17.10.2022 (अनुलग्नक 14) के स्वीकृति आदेश में निर्धारित शर्तों को पढ़ने के बाद 09.03.2023 को समझौता निष्पादित किया था। दिनांक 17.10.2022 (अनुलग्नक 14) के स्वीकृति आदेश में प्रासंगिक शर्त शीर्षक 15 'अन्य शर्तें' के अंतर्गत उल्लिखित है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> "6 पट्टाधारी को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 03-02-2022 (पर्यावरण क्लीयरेन्स) में अंकित्त शर्तों / निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करनी होगी तथा इसके अति रिक्त पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सगय-समय पर जारी होने वाले नि र्देशों की पालना करनी होगी। 7 पट्टा संविदा पंजीयन के उपरान्त संबंधित प्रदूषण नियंत्रण

मण्डल से कन्सेन्ट दूँ आपरेट प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा तभी खनन कार्य की अनुमति जारी की जावेगी।"

इस प्रकार यह देखा गया है कि एक बार समझौता हो जाने के बाद, कब्जा पट्टेदार को सौंपा जा सकता है और चूंकि उक्त समझौता 09.03.2024 को निष्पादित किया गया है, इसलिए डाइस-नॉन अवधि की शुरुआत 09.03.2023 से मानी जानी चाहिए।

40. निस्संदेह, याचिकाकर्ता दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य [(2012) 4 एससीसी 629] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के कारण खनन गतिविधियों को अंजाम नहीं दे सकता है, जिसमें खनन रोक दिया गया है। हालाँकि, नियम 9(4) का एक मात्र अवलोकन स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि यदि पट्टा पट्टेदार की गलती के कारण या जहाँ पट्टे का केवल एक हिस्सा बंद था, पट्टा बंद रहता है, तो अवधि को बढ़ाया नहीं जाएगा। इस प्रकार, 2017 के नियमों के नियम 9(4) के आलोक में, याचिकाकर्ता को दिनांक 17.10.2022 (अनुलग्नक 14) को स्वीकृति आदेश जारी किया गया था, और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि एनबीडब्ल्यूएल द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई अनुमति नहीं दी गई है और ईसी भी 03.02.2023 को समाप्त हो गई थी, याचिकाकर्ता को डाइस-नॉन अवधि की समाप्ति के बाद खनन पट्टे को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो 20.04.2024 को समाप्त हो गई।

41. इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा के आलोक में और इस तथ्य के कारण कि याचिकाकर्ता संचालन के लिए सहमति प्राप्त करने के लिए पूर्व-आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है, याचिकाकर्ता को उक्त क्षेत्र में खनन गतिविधियों को करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, इसलिए प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के खनन पट्टे पर अधिकार कर लिया है।

42. इसलिए, इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। रिट याचिका खारिज की जाती है। स्थगन याचिका और अन्य विविध आवेदन, यदि कोई लंबित है, का भी निपटारा किया जाता है।

(डॉ. नूपुर भाटी),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के

लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।